

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

મધ્યપ્રદેશ રાજ્યપત્ર

પ્રાધિકાર સે પ્રકાશિત

ક્રમાંક 16]

ભોપાલ, શુક્રવાર, દિનાંક 16 અપ્રૈલ 2010 ચૈત્ર 26, શક 1932

ભાગ ૪

વિષય-સૂચી

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (ક) (1) મધ્યપ્રદેશ વિધેયક, | (2) પ્રવર સમિતિ કે પ્રતિવેદન, | (3) સંસદ મેં પુરસ્થાપિત વિધેયક. |
| (ખ) (1) અધ્યાદેશ, | (2) મધ્યપ્રદેશ અધિનિયમ, | (3) સંસદ કે અધિનિયમ. |
| (ગ) (1) પ્રારૂપ નિયમ, | (2) અન્તિમ નિયમ. | |

ભાગ ૪ (ક) — કુછ નહીં

ભાગ ૪ (ખ) — કુછ નહીં

ભાગ ૪ (ગ)

અન્તિમ નિયમ

આયુષ વિભાગ

મંત્રાલય, વલ્લભ ભવન, ભોપાલ

ભોપાલ, દિનાંક 11 માર્ચ 2010

પી.એ.એચ.યૂ.ટી. 2010

મધ્યપ્રદેશ મેં આયુર્વેદ / યૂનાની / હોમ્યોપેથી મહાવિદ્યાલયોં મેં સ્નાતક પાઠ્યક્રમો મેં પ્રવેશ કે લિએ નિયમ, 2010

ક્ર. સ્ટેનો-346-48-એસઈસી-4.—મધ્યપ્રદેશ ચિકિત્સીય શિક્ષા સંસ્થા (નિયંત્રણ) અધિનિયમ, 1973 (મધ્યપ્રદેશ અધિનિયમ ક્રમાંક 19 સન् 1973) કી ધારા 10 દ્વારા પ્રદત્ત શક્તિયોં કો પ્રયોગ મેં લાતે હુએ, રાજ્ય સરકાર, અધિનિયમ કે પ્રયોજનોં કો કાર્યાન્વિત કરને

के लिये अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद / यूनानी एवं होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/ होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में (जिनकी सूची तालिका-4 में हैं) स्नातक पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैः—

1. **शीर्षक**—ये नियम मध्यप्रदेश आयुर्वेद / यूनानी एवं होम्योपैथी स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2010 कहलायेंगे। ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2.0 **परिभाषायां**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—

- 2.1 “मण्डल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
- 2.2 “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के अधीन आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी महाविद्यालय;
- 2.3 “परीक्षा” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;
- 2.4 “राज्य शासन” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
- 2.5 “प्रवर्ग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग;
- 2.6 “संवर्ग” से अभिप्रेत है, सैनिक संवर्ग (एम.पी.), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), महिला (एफ) और बिना संवर्ग (एक्स) जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है; विकलांग (पी.एच.) से अभिप्रेत है, जैसा कि भारत शासन, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है;
- 2.7 “नियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्वेद / यूनानी तथा होम्योपैथी स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2010.

3. **सामान्य**—(एक) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् / केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् / विश्वविद्यालय / राज्य शासन / भारत सरकार तथा महाविद्यालय की स्वशासी समिति के प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों-विनियमों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन होंगे।

(दो) ये नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी उम्मीदवारों पर लागू होंगे :—

1. आयुर्वेद महाविद्यालय शासकीय (स्वशासी), भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम.
2. यूनानी महाविद्यालय शासकीय (स्वशासी), भोपाल में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम.
3. होम्योपैथी महाविद्यालय शासकीय (स्वशासी), भोपाल में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम.
4. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम (सूची तालिका क्रमांक 4 में संलग्न है).
5. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम (सूची तालिका क्रमांक 4 पर संलग्न है).

6. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के यूनानी महाविद्यालयों में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम (सूची तालिका क्रमांक 4 पर संलग्न है).

3.1 आवेदन-पत्र में प्रविष्टि करने के पूर्व उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियम पुस्तिका को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर सम्पूर्ण सही एवं बांछित जानकारी की प्रविष्टि करें तथा सह-पत्र संलग्न करें, अन्यथा आवेदक प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। मांगे जाने पर सही जानकारी अनिवार्य रूप से देवें।

3.2 यदि ऐसा पाया जाता है कि उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय कोई जानकारी छुपाई है एवं/अथवा गलत जानकारी दी है तो दिया गया प्रवेश कभी भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

3.3 मण्डल द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर परीक्षा होगी। एक बार आवंटित होने पर केन्द्र नहीं बदला जावेगा। उम्मीदवार, मण्डल के नियम एवं विनियम के लिए बाध्यकारी होगा, जिसका पालन न करने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।

4.0 सीटों की उपलब्धता.—महाविद्यालयवार बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें तालिका 1 से 4 में दर्शाई गई हैं।

शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालयों / शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय तथा शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालयों में आरक्षण की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप भरी जावेंगी तथा उन्हें पी.ए.एच.यू.टी. 2010 प्रवेश परीक्षा के चयनित योग्य उम्मीदवारों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से भरा जावेगा।

5.0 आरक्षण.—सभी महाविद्यालयों हेतु 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं शेष सीटें अनारक्षित हैं।

5.1 ऐसे विकलांग, जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित श्रेणियों के हैं, उनके लिये तीन प्रतिशत सीटें बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. तथा बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हारिजान्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगों में पूर्ण रूप श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित विकलांग प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। विकलांगता के प्रमाण-पत्र के आधार पर 50 प्रतिशत तक श्रवण बाधित व दृष्टि बाधित विकलांगों को प्रवेश दिया जा सकेगा, तथा किसी भी हाथ की विकलांगता मान्य नहीं होगी, तथा पैरों के संबंध में 40 से 60 प्रतिशत अपंगताधारी अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे। आरक्षण का यह लाभ उक्तानुसार निर्धारित संस्था से विहित प्रारूप में जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा।

इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को अधीक्षक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण-पत्र एवं जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार से दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.2 बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सैनिक संवर्ग (एम.पी.) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हारिजान्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

5.2.1 सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत उन सैनिकों (एम.पी.) के पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित हैं, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं। जिसमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी समिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों।

5.2.2 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे मध्यप्रदेश में बस गए भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री हैं।

5.2.3 भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से हैं जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

5.2.4 सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत सैनिक के पुत्र/पुत्रियों को भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी।—सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5.3 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी के मध्यप्रदेश के मूल निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाती/नातिनों के लिये बी.ए.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीन प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। आरक्षण (क्षैतिजिक) हारिजान्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

5.3.1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो।

5.3.2 ऐसे उम्मीदवार जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का होने के लिये वैध प्रमाण-पत्र नहीं होगा।

5.4 बी.ए.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी, अर्थात्—

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित रखी गई हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हारिजान्टल एवं कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

5.5 उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार अपने प्रवर्ग के अधीन केवल एक आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिये आवेदन कर सकता है एवं उसे निर्धारित प्रपत्र में तदानुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रपत्र 5, 6, 7, 8 तथा 9 जो भी लागू हो)।

5.6 ऐसे उम्मीदवार जो किसी वर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला वर्ग) के अन्तर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी स्वयं के प्रवर्ग के ओपन-ब्लास के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

6.0 अहंताएँ— (अ) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है किन्तु निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है।

अथवा

(ब) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये—

जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो—

1. मध्यप्रदेश शासन में सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी,

अथवा

2. ऐसा कर्मचारी जिसकी मध्यप्रदेश शासन में नियमित सेवा में रहते हुये मृत्यु हुई हो,

अथवा

3. मध्यप्रदेश संवर्ग (केडर) के अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी,

अथवा

4. भारत शासन का कर्मचारी अथवा भारत शासन के सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ हो,

अथवा

5. ऐसा व्यक्ति जो भारत शासन अथवा मध्यप्रदेश शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो,

अथवा

6. ऐसा व्यक्ति जो सैनिक संवर्ग में है,

अथवा

7. ऐसा व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर राज्य का विस्थापित व्यक्ति हो और मध्यप्रदेश में बस गया हो.

स्पष्टीकरण।— 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र कलेक्टर या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो।

प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर, और जारीकर्ता अधिकारी का स्पष्ट नाम, तथा पदनाम होना चाहिये।

स्पष्टीकरण।— 2. किसी भी उम्मीदवार के अधिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो, अधिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का प्राकृतिक अधिभावक माना जायेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अधिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

6.1 बी.ए.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.ए.च.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की 10+2 प्रणाली की बाहरवीं परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आरक्षित प्रवर्ग के अध्यर्थी को “प्रास करना अनिवार्य है और वे ही पात्र होंगे। बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु उन उम्मीदवारों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री 10+2 प्रणाली की 12वीं परीक्षा भौतिक, रसायन, बायोलॉजी लेकर उत्तीर्ण की हो, और साथ में अनिवार्य रूप से उर्दू विषय लेकर मध्यप्रदेश हायर सेकेण्ड्री परीक्षा या दसवीं बोर्ड से उत्तीर्ण की हो अथवा उर्दू की ऐसी समकक्ष परीक्षा जो मध्यप्रदेश शासन / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा उक्त परीक्षाओं के समकक्ष मान्य की गई हो। इस हेतु जामिया, उर्दू, अलीगढ़, द्वारा संचालित “अदीब माहिर” परीक्षा मान्य की जावेगी।

ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के उम्मीदवारों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अथवा

मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड द्वारा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो। विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर, संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गए समानता प्रमाण-पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जावेगा।

ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के उम्मीदवारों को समकक्ष अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

6.2 किसी भी ऐसे उम्मीदवार को आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक वह 17 वर्ष की आयु का न हो चुका हो अथवा परीक्षा के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा उसके पहले 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला न हो।

उम्मीदवार को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिये हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंकसूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जावेगा।

ऐसे उम्मीदवारों के मामलों में जो अपनी निवासी संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्संबंधी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा।

7.0 फीस संरचना।—शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक उम्मीदवार को तालिका 6 व निजी महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक उम्मीदवार को तालिका 6 में दर्शाये अनुसार फीस नियमित रूप से जमा करनी होगी। काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को आंशिक शैक्षणिक शुल्क के रूप में अनारक्षित वर्ग के लिये रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित वर्ग (अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग) के उम्मीदवारों को रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल (P. K. S. G. Ayu. C. Bhopal), के नाम देय हो, जमा करना होगा। यदि उम्मीदवार काउंसिलिंग में महाविद्यालय आवंटन के पश्चात् किसी भी कारण से प्रवेश नहीं लेता है तो आंशिक शिक्षण शुल्क की यह राशि वापिस नहीं की जावेगी।

टीप।—विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों को शासन की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का लाभ शासन के संबंधित नियमों के तहत पात्रानुसार प्राप्त किया जा सकेगा।

7.1 प्रतिभूति निक्षेप।—प्रत्येक शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय में काउंसिलिंग से प्रवेश मिलने पर प्रत्येक उम्मीदवार को रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रतिभूति निक्षेप बैंक ड्राफ्ट से, जो संबंधित शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।

7.1.1 परन्तु यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का है जिसके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 1.80 लाख से अधिक नहीं है तो उसे प्रतिभूति निक्षेप नहीं करना होगा।

7.1.2 परन्तु अन्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवार जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त झोतों से रुपये 1.80 लाख से अधिक है तथा समस्त अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को केवल रुपये 2000/- प्रतिभूति निक्षेप करना होगा।

7.2 यह धन बिना ब्याज के इन्टर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है, या पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है और इन्टर्नशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप सम्पहत कर लिया जाएगा।

8.0 परीक्षायें—प्रवेश परीक्षायें अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम में होंगी, उम्मीदवार को आवेदन-पत्र भरते समय किसी एक माध्यम हेतु सहमत होना होगा।

8.1 तीन घटे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र होगा, (मल्टीपल चाइस) प्रश्न-पत्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के डेढ़ सौ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न-पत्र निम्नानुसार दो भागों में विभाजित होगा—

भाग	विषय का नाम	प्रश्नों (वस्तुनिष्ठ) की संख्या	अंक
ए	भौतिक शास्त्र + रसायन शास्त्र	(50+50)=100	(50+50)=100
बी	प्राणिशास्त्र + वनस्पति शास्त्र	(25+25)=50	(25+25)=50
कुल : 150			150

8.2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिये प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर या मल्टीपल मार्किंग के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे। अनुत्तरित प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

8.3 परीक्षाफल की घोषणा—मण्डल द्वारा परीक्षा का आयोजन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जावेगा, प्रावीण्य सूची/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा परीक्षाफल घोषित किया जावेगा। योग्य उम्मीदवार को सीट का पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में आवंटन काउंसिलिंग द्वारा प्रावीण्यता-सह-आप्शन के आधार पर होगा।

8.4 प्रावीण्य सूची—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद / यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रावीण्य सूची, अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे सफल उम्मीदवारों को जिन्हें कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे सफल उम्मीदवारों को जिन्हें कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, को समिलित कर घोषित की जायेगी।

8.4.1 निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पी.ए.एच.यू.टी. में भाग लेने वाले मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के बाहर के समस्त उम्मीदवारों की कट आफ मार्कस् रहित (Without cut off marks) समिलित प्रावीण्यता क्रम सूची जारी की जायेगी।

8.4.2 शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय, खोपाल में प्रवेश हेतु नियम 6.1 में वर्णित अर्हताधारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी पी.ए.एच.यू.टी. में भाग लेने वाले समस्त उम्मीदवार नियम 8.4.1 के तहत जारी प्रावीण्यता सूची के अनुसार पात्र होंगे।

टिप्पणी—मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी स्वशासी शासकीय महाविद्यालय की संवर्गवार प्रावीण्य सूची नियम-6 अनुसार अर्हता रखने वालों की सूची तैयार की जावेगी।

8.5 पारस्परिक योग्यता—ऐसी परिस्थिति में जब दो या अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होते हैं, तब ऐसे उम्मीदवार को निम्न अधिमान में रखकर पारस्परिक वरीयता तथा जावेगी,

- प्रश्न-पत्र के भाग-बी (प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र) में प्राप्त अंकों के आधार पर।
- आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार।

9.0 काउंसिलिंग—उम्मीदवारों को सीट का आवंटन काउंसिलिंग में स्वयं उपस्थित होने पर किया जावेगा।

काउंसिलिंग कमेटी में निम्न सदस्य होंगे—

- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

2. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अथवा उनका प्रतिनिधि;
3. मध्यप्रदेश के सभी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
4. प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय, भोपाल;
5. प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल;
6. राज्य शासन द्वारा नामांकित आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि जो सह-प्राथ्यापक के स्तर से कम का न हो.

9.1 काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य तथा राज्य के बाहर के प्रमुख समाचार-पत्रों में यथासमय प्रकाशित किया जायेगा। प्रवेशार्थी समाचार-पत्र में प्रकाशित अपने मेरिट क्रमानुसार दर्शाई गई तिथि को काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकेगा। प्रथम चरण की काउंसिलिंग उपरान्त सीटों के लिये द्वितीय चरण की काउंसिलिंग की जायेगी। प्रवेशार्थी छात्रों को काउंसिलिंग के कार्यक्रम का विवरण रोजगार निर्माण या राज्य तथा राज्य के बाहर के समाचार-पत्रों के साध्यम से सूचित किया जायेगा। काउंसलिंग का कार्यक्रम संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, की वेबसाईट (<http://dismh.nic.in>) पर भी उपलब्ध रहेगा। किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु काल लेटर नहीं भेजे जावेंगे।

9.1.1 काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक अश्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि रूपये 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो, प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल (P. K. S. G. Ayu. C. Bhopal) के नाम देय हो, प्रस्तुत करने पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा।

9.2 यदि कोई उम्मीदवार स्वयं काउंसलिंग में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारूप-2 एवं 2-अ में दर्शाये अनुसार अंडरटेकिंग तथा आवंटन के लिये अथोरिटी लेटर और प्रारूप 1 में उल्लिखित मूल दस्तावेज के साथ जांच करने तथा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिया गया आवंटन उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा।

9.3 उम्मीदवार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को काउंसलिंग में भाग लेने हेतु यात्रा अपने स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

9.4 उम्मीदवार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को काउंसलिंग के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पी.ए.एच.यू.टी.-2010 परीक्षा की मार्क-शीट दिखाये बगैर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

9.5 उम्मीदवार या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रारूप-1 में दर्शाये गये मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रापणित छायाप्रतियों के एक सेट के बगैर काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

9.6 उम्मीदवार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को योग्यता के क्रम में अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। उन्हें 10 से 20 के छोटे-छोटे समूहों में छानबीन के लिये अर्थात् मूल अभिलेखों की जांच के लिए बुलाया जायेगा तथा पात्र पाये जाने पर उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। जहां उन्हें उपलब्ध किसी एक सीट के आवंटन हेतु विकल्प देना होगा, यह चयन अंतिम होगा एवं यही सीट उन्हें आवंटित की जायेगी। आवंटन-पत्र महाविद्यालय प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल (P. K. S. G. Ayu. C. Bhopal) के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा। (नियम-7)।

9.7 उम्मीदवार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी अपरिहार्य कारण से अभिलेखों की जांच एवं काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे उम्मीदवार यदि बाद में उपस्थित हो जाते हैं, तो उन्हें जिस स्टेज पर काउंसलिंग चल रही है उसी स्टेज पर बिना उनकी प्रावीण्यता पर विचार करते हुये काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते उनकी श्रेणी की काउंसलिंग जारी हो तथा उनके पूर्व में जो आवंटन मेरिट के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को किये जा चुके हैं वे अपरिवर्तनीय रहेंगे। ऐसे उम्मीदवार, जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं, अथवा उनके अभिलेख पूर्ण न होने के कारण काउंसलिंग में भाग नहीं लिया हो, वे आगामी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।

9.8 भारत शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के एम. सी. आई. विरुद्ध मधु सिंह, के मामले के परिप्रेक्ष्य में हुये आदेश के अंतर्गत आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया का समय निर्धारित कर दिया गया है। नियम 12 में प्रस्तावित समय टाईम शिड्यूल दिया गया है। यदि किसी भी कारण से उम्मीदवार अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि योग्यता के अनुसार अपनी बारी (टर्न) के समय किसी महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के लिए चयन नहीं करता है तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा। तथापि उसका नाम, लिखित प्रार्थना पर प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकेगा। ऐसे उम्मीदवार पर आगामी काउंसिलिंग के समय विचार किया जा सकेगा।

9.9 प्रथम काउंसिलिंग के दौरान आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी महाविद्यालयों की सीटों का आवंटन कर लिया जाएगा। काउंसिलिंग में प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची का कोई भी उम्मीदवार यदि अपनी सीट का आवंटन चयन कर लेता है उस स्थिति में आगामी काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए उसे निर्धारित राशि का नवीन बैंक ड्राफ्ट पुनः जमा करना होगा। पूर्व में जमा बैंक ड्राफ्ट की राशि राजसात हो जावेगी।

9.10 सभी मार्कशीट्स प्रमाण-पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा लिखा होना चाहिये।

9.11 प्रवर्ग के अनुसार प्रावीण्यता-सह-ऑप्शन के आधार पर निम्नलिखित क्रमानुसार काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी—

- (क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी
- (ख) अनुसूचित जाति श्रेणी
- (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
- (घ) अनारक्षित श्रेणी।

9.12 यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी—

- (क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी;
- (ख) अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी;
- (ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी;
- (घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित श्रेणियों के अन्तर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जायेगी।

9.13 यदि किसी श्रेणी में सैनिक संवर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग तथा महिला संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी श्रेणी की “बिना संवर्ग” “ओपन (X)” में उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आरक्षित संवर्ग की बिना संवर्ग “ओपन (X)” संवर्ग में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार श्रेणी की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटें अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 9.12 में है।

9.14 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग का कोई उम्मीदवार जिसका नाम अपने आरक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट)/ प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने की अतिरिक्त अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट)/प्रतीक्षा सूची में भी सम्मिलित हैं, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउंसिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा कि वह सीट आरक्षित श्रेणी से चयन करेगा अथवा अनारक्षित श्रेणी से।

10.0 प्रवेश.—उम्मीदवार, काउंसलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

10.1 प्रवेश समिति में प्रधानाचार्य, दो प्राध्यापक तथा कम से कम दो आरक्षित श्रेणी के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश देगी एवं महाविद्यालय आवंटित करेगी।

10.2 मूल दस्तावेज पाठ्यक्रम (इन्टर्नशिप) पूर्ण करने अथवा पाठ्यक्रम की सीट से तथा महाविद्यालय से किसी भी कारण छोड़ने की स्थिति में ही लौटाये जावेंगे।

10.3 यदि कोई उम्मीदवार उपस्थित होने की तारीख तक उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।

10.4 उम्मीदवारों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे।

11.0 अकादमिक सत्र, 1 नवम्बर 2010 को प्रारम्भ होगा। किसी भी कारण से होने वाली रिक्तियों पर प्रवेश होम्योपैथी महाविद्यालयों में 30 अक्टूबर 2010 व आयुर्वेद महाविद्यालयों में 31 अक्टूबर 2010 तक ही दिया जा सकेगा।

12.0 प्रस्तावित प्रवेश प्रक्रिया—

1. प्रथम काउंसलिंग — Dates will be published later after declaration of result.
2. सत्र का प्रारंभ — To be declared later
3. द्वितीय काउंसलिंग (यदि आवश्यक हो) — To be declared later
4. किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि — 31-10-2009

टिप्पणी.—1. नियम 12 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य के मुख्य समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा अथवा कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा।

2. यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त कोर्स से निकाला जायेगा अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, यूनानी / होम्योपैथी शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी हैं तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।

13.0 प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी महाविद्यालयों में भारत सरकार द्वारा सत्र 2009-10 हेतु यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है तो उनमें काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा।

13.1 सक्षम प्राधिकारी.—किसी भी उम्मीदवार के प्रवेश के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त—सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी सक्षम प्राधिकारी होंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा।

14.0 नियमों का स्पष्टीकरण.—राज्य सरकार, प्रवेश के किसी नियम प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार रक्षित करती है। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

टीप.—1. नियम पुस्तिका में महाविद्यालय का नाम व प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट्स संख्या का उल्लेख महाविद्यालय की मान्यता एवं उसकी सीट्स पर प्रवेश उपलब्ध होने का द्योतक नहीं है।

2. प्रदेश में संचालित शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्/भारत सरकार की मान्यता एवं तत्संबंधी आदेशों तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की संबंद्धता पर निर्भर होगी।

3. महाविद्यालयों के नाम की सूची व प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट्स संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

P.A.H.U.T. 2010
**MADHYA PRADESH AYURVED/UNANI/HOMOEOPATHY
 UNDERGRADUATE ENTRANCE
 EXAMINATION RULES- 2010**

No. Steno-346-48-SEC-4.—In exercise of powers conferred by Section 10 of Madhya Pradesh Chikitsa Shiksha Sanstha Nyantran, Adhiniyam, 1973 (Madhya Pradesh Act No. 19 of 1973), the State Government hereby makes the following rules to carry out the purpose of the Adhiniyam i.e. the Entrance to Under Graduate Course in Govt. (Autonomous) Ayurveda / Unani / Homeopathy college and private Ayurved / Homoeopathy/Unani Colleges (Whose list is enclosed in Table-4) in the State of Madhya Pradesh :—

1.0 Title.—These rules may be called as "Madhya Pradesh Ayurved / Unani & Homoeopathy Undergraduate Entrance Examination rules 2010". These rules shall be effective from their publication in the "Gazette of Madhya Pradesh".

2.0 Definitions.—In these rules, until the context otherwise indicates,

- 2.1 "Board" means the Madhya Pradesh Professional Examination Board (PEB);
- 2.2 "College" means a College of Ayurved , Unani & Homoeopathy under the State Government of M.P.
- 2.3 "Examination" means the Entrance Examination conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board (PEB / VYAPAM).
- 2.4 "State Government" means Government of Madhya Pradesh.
- 2.5 "Category" means Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes, and Unreserved category as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh.
- 2.6 "Class" means Military Personnel (M.P.), Freedom Fighter (F.F.), NO CLASS (X) and FEMALE (F) as specified and laid down by Government of Madhya Pradesh. Physically Handicapped (PH) means as specified and laid down by Ministry of Labour, Government of India for vocational Rehabilitation of Physically Handicapped.
- 2.7 "Rules" means Madhya Pradesh Ayurved/Unani & Homeopathy under graduate Entrance Examination Rules, 2010.

3.0 General.—(i) Under Graduate Courses in BAMS, BUMS and BHMS shall be governed and regularized by CCIM / CCH / University / Autonomous Society of the College/ State Government / Government of India / under the rules and regulations in force at the time of entrance examination, allotment, admission amended from time to time.

(ii) These rules shall apply to all candidates for entrance, allotment and admission in the following courses and colleges.—

1. B.A.M.S. Course in Govt. (Autonomous) Ayurved Colleges, Bhopal, Burhanpur, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa and Ujjain.
2. B.U.M.S. Course in Govt. (Autonomous) Unani College, Bhopal.
3. B.H.M.S. Course in Govt. (Autonomous) Homoeopathic College, Bhopal.
4. B.A.M.S Course in Ayurved College running in the State of M.P. in private sector (List enclosed in Table No -4).

5. B.H.M.S Course in Homoeopathic Colleges running in the State of M.P. in private sector (list enclosed on Table No. -4).
6. B.U.M.S Course in Unani Colleges running in the State of M.P. in private sector (list enclosed on Table No. -4).

3.1 Correct information must be furnished and produced whenever required. Before filling up the application form the candidates are advised to read and understand the rule book thoroughly and then fill up complete, correct and required information and must enclose required documents, failing which applicant shall not be entitled to entrance examination, allotment and admission.

3.2 If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the application form, at the time of allotment of a seat, at the time of scrutiny of the documents or at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Principal of the college, at any time during his/her studies.

3.3 The examination shall be held at the centre fixed by the Board. Centre once allotted shall not be changed. The candidate shall abide by the rules and regulation of the Board failing which his / her candidature will be CANCELLED.

4.0 Availability of Seats.—The seats available in BAMS / BUMS & BHMS course are shown college wise in table number 1 to 4. The sanctioned seats of Govt. Autonomous Ayurveda / Unani / Homoeopathic Medical Colleges and of private Colleges shall be filled in accordance with reservation policy of State Government and shall be filled up through counseling by selected eligible candidates of PAHUT 2010 Entrance Examination.

5.0 Reservation.—20% Seats are reserved for candidates belonging to scheduled tribe, 16% seats are reserved for candidates belonging to scheduled caste and 14% seats are reserved for candidates belonging to other backward classes (Other than creamy layer) and remaining seats are available for unreserved category candidates in all the colleges.

5.1 For Physically Handicapped who are bona fide residents of Madhya Pradesh belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes and Unreserved category, three percent (3%) seats are reserved for admission to BAMS / BUMS & BHMS courses. Reservation shall be horizontal and compartmentalized. It is clarified that among the disabled candidates those having disability of ophthalmic and auditory sense organs up to 50% will only be considered eligible for admission and not such candidates having complete disability of ophthalmic and auditory sense organs. Similarly the candidates having handicapped of upper limb will not be considered. However a candidate having disability in lower limb up to 40 to 60 % shall be considered eligible for admission. The advantage of such reservation will be provided on the basis of medical certificate issued by the notified in institution in prescribed proforma. The candidate desirous of taking admission against these seats shall have to produce a medical certificate issued by District Medical Board and eligibility certificate from Superintendent, Ministry of Labour, Government of India,

Vocational Rehabilitation Center for Physically Handicapped, Napier Town, Jabalpur in the prescribed proforma. Thus both of the certificates have to be produced compulsorily.

5.2 For Children of Military Personnel (MP) belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes, and UR categories, 3% seats are reserved for admission to BAMS / BUMS & BHMS course. Reservation shall be horizontal and compartmentalized.

5.2.1 Seats reserved for son/daughter of the Military Personnel (MP) class includes Ex-Military Personnel, who have served as defence employee, serving defence employee and those defence employee, who died during service or who became permanently disabled during service.

5.2.2 Candidate claiming admission under Military Personnel class will have to produce a certificate showing that he / she is son / daughter of an Ex-Military Personnel settled in Madhya Pradesh.

5.2.3 Ex-Military personnel means a person who fits in the definition of Ex-Military personnel, as per direction issued by Ministry of Defense, Government of India.

5.2.4 A candidate claiming admission on account of being a son/daughter of an Ex-military personnel will have to produce the certificate of his / her father / mother being an Ex-Military person and a certificate of his / her father / mother having settled in Madhya Pradesh from District Military Welfare Officer of concerned district.

OR

He/She is son / daughter of a defence employee posted outside of Madhya Pradesh who is a bonafide domicile of Madhya Pradesh. Such candidate shall have to produce a certificate to the extent that his / her father / mother is a bonafide resident of Madhya Pradesh.

OR

He / She is son/daughter of a defence employee posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance examination.

Note.—In case of any dispute regarding the eligibility of a Millitary personnel class candidate, the decision of Director, Military Welfare, Madhya Pradesh shall be final and binding.

5.3 For legitimate son/daughter or grand son/daughter of a Freedom Fighter (FF) who are bonafide residents of Madhya Pradesh belonging to ST, SC, OBC and UR category, 3% seats are reserved for admission to BAMS / BUMS & BHMS courses Reservation shall be horizontal and compartmentalized.

5.3.1 Freedom Fighter (FF) is a person whose name is registered in the list kept in the collectorate of the concerned District of Madhya Pradesh.

5.3.2 Candidate applying for admission under Freedom Fighter (FF) class shall have to produce a certificate, from the Collector of concerned district of Madhya Pradesh. No other documents shall be considered as a proof of belonging to Freedom Fighter (FF) class.

5.4 30% seats for admission to BAMS / BUMS / BHMS course are reserved for Female candidates in each category i.e. ST/SC/OBC and UR category. This reservation shall be horizontal and compartmentalized.

5.5 A candidate can apply for a reserved seat under his/her reserved category and class only to his/her own choice, and must produce a certificate in support of his/her choice in a prescribed proforma. [Proforma-5, 6, 7, 8 and 9 whichever as applicable].

5.6 A candidate not willing for admission in any class [MP, FF, PH,F] can apply in open class of his/her OWN CATEGORY.

6.0 **Eligibility.—**[A] The candidate must be bonafide resident of Madhya Pradesh to take admission in Govt. (Autonomous) Colleges. But Bonafide Resident of M.P. is not essential to take admission in private colleges.

OR

For admission in Govt.(Autonomous) Colleges.....

[B] Who is son/daughter of.—

(1) An employee or retired employee of Government of Madhya Pradesh.

OR

(2) An employee died while in regular service of Government of Madhya Pradesh.

OR

- (3) An officer of All India Services belonging to Madhya Pradesh Cadre.

OR

- (4) An employee of Government of India or Government of India undertaking who is posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance examination.

OR

- (5) A person who has been settled permanently in Madhya Pradesh under the scheme of Government of India or the state of Madhya Pradesh.

OR

- (6) A person belonging to Military Personnel (MP) class.

OR

- (7) A person who is the migrant of Jammu and Kashmir state and have settled in Madhya Pradesh.

Explanation 1.—Certificate regarding bonafide resident of M.P. must be issued by the Collector or an officer authorized by the collector of the district concerned. The certificate must show reference number, date of issue and seal and clear name and designation of issuing officer.

Explanation 2.—Guardian of candidate means a person who from the date of the death of candidate's Father and mother till the date of submitting application form is actual custodian and controller of candidate or his/her immovable property or both, in view of District Magistrate concerned. Guardian shall have to necessarily produce a certificate stating so from a competent court. If the father of the candidate is not alive and mother is alive then mother only shall be considered as a natural guardian of the candidate, no body else shall be recognized as a guardian.

6.1 For admission to BAMS /BUMS/ BHMS course only those candidates are eligible who have passed the 12th exam. of 10+2 system (qualifying examination) with Physics, Chemistry and Biology subjects separately and secured not less than 50% aggregate marks for unreserved category and not less than 40% aggregate marks for reserved category candidate. For admission in to B.U.M.S course only those candidates are eligible who have passed the 12th exam. of 10+2 system examination with Physics, Chemistry and Biology subjects and compulsorily passed Urdu subject from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or tenth board or equivalent examination in Urdu recognized by Govt. of M.P./Board of secondary education M.P. Bhopal. The 'Adeeb Mahir' examination conducted by Jamiya Urdu, Aligarh will also be considered equivalent above.

Candidate of all categories and class are required to have passed ENGLISH in qualifying examination of 10+2.

OR

Have passed an equivalent or higher examination with Physics, Chemistry and Biology from any other recognized Board or University recognised by School Education Department, Government of Madhya Pradesh. For foreign national seeking admission, eligibility shall be considered on the basis of equivalency certificate issued to them by concerned Board/University and approved by the External Affairs Ministry, Government of India.

Candidate of all categories and class are required to have passed ENGLISH in qualifying equivalent examination.

6.2 No candidate shall be allowed to be admitted to a BAMS/ BUMS/ BHMS college until the candidate has completed or shall complete the age of 17 year on or before 31st December of the year of examination.

For reckoning the age as aforesaid the date of birth as mentioned in the certificate of Higher Secondary School certificate examination or in MARK-SHEET of the said examination shall be the authentic documentary proof.

The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate, who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad, certified by the School Education Department of Government of Madhya Pradesh as equivalent to Higher Secondary School Certificate examination in Madhya Pradesh.

7.0 Fees Structure.—Every candidate admitted in Govt. (Autonomous) colleges shall have to pay fees regularly as shown in table number 5 and every candidate admitted in private colleges shall have to pay fees regularly as shown in table number 6. Candidates taking admission through counseling will have to deposit an amount of Rs. 10000/- (Rupees Ten Thousand only) in case of unreserved category and Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) in case of reserved category (S.C., S.T. and O.B.C.) as a partial tuition fees by bank draft drawn in favor of Principal, Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurveda college and institute, Bhopal. If candidate does not take admission after allotment of a college in counseling for any reason partial tuition fee will not be refunded.

Note—The benefit of Government schemes of reimbursement of fees and scholarships to the students admitted in to the Govt. Autonomous and private colleges under the Department, may be achieved as per the eligibility under the concerned rules of the Govt.

7.1 Security Deposit.—Candidate shall have to deposit Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only) as security deposit in the form of Bank Draft payable to the Principal of the concerned Govt. (Autonomous) college on allotment of a seat during counseling in Govt. autonomous college.

7.1.1 Provided that candidate belongs to SC/ST Category whose parent/ guardians income does not exceed Rs. 1.80 lacs per annum from all sources shall not make any such deposit.

7.1.2 Provided other SC / ST candidates whose parent/guardian income exceeds Rs. 1.80 lacs per annum from all sources and all candidates belonging to OBC category shall be required to deposit only Rs. 2000/- as security.

7.2 The amount of security deposit shall be refunded without any interest after successful completion of internship. In case of candidate does not join the allotted course, and institution or discontinues study in a course and leaves college before completion of internship due to any reason, his/her claim on security deposit shall be forfeited.

8.0 Examination.—The Entrance Examination shall be conducted in ENGLISH AND HINDI medium. Candidate has to opt any one medium, while filling up the application form.

8.1 There shall be one paper (multiple choice) of three hours duration. Paper will contain one hundred fifty multiple choice questions in Physics, Chemistry, Zoology and Botany. The paper shall have two parts as following:-

Part	Name of Subject	No. of Questions (Multiple Choice)	Marks
A	Physics + Chemistry	(50 + 50) = 100	50 + 50 = 100
B	Zoology + Botany	25 + 25 = 50	25 + 25 = 50
Total . . 150			150

8.2 In objective type questions ONE mark shall be awarded for each correct response. No Marks shall be awarded for an incorrect response or multiple markings or for Un-answered question.

8.3 Declaration of Result.—The Board shall conduct the examination, evaluate the answer sheets, prepare the merit lists/ Waiting list and declare the result.

The allotment of a seat to eligible candidate in course and college shall be done by Counseling on merit cum option basis..

8.4 Merit List.—A combined merit list including the candidates belonging to unreserved category who have secured not less than 50% marks and the candidates belonging to reserved category who secured not less than 40% marks shall be declared for the admission in to Govt. Autonomous Ayurveda/ Unani colleges.

8.4.1 A Combined Merit list including all candidates of Madhya Pradesh and the candidates out of Madhya Pradesh who have appeared in P.A.H.U.T. shall be declared eligible without cut off of marks for the Private Ayurved/ Unani/ Homeopathy colleges.

8.4.2 All the candidates who have the eligibility as the Domicile of M.P. explained in rule 6.1 will be eligible to take admission in Government (Auto.) Homoeopathy College, Bhopal, according to the merit list Published as per the Rule 8.4.1.

Note.—Merit list for Govt. Ayurved/ Unani & Homeopathy Autonomous colleges of Madhya Pradesh will be prepared category wise, according to merit as per Rule-6.

8.5 Inter-Se-Merit.—In case of two or more candidates obtaining equal marks in the entrance examination, the inter-se-merit of such candidate shall be determined in order of the following preference:

1. On the basis of marks obtained in part -B of Question paper i.e. Zoology and Botany.
2. Candidate older in age.

9.0 Counseling.—The allotment of seats shall be made to the candidates through Counseling on the basis of personal appearances. The Counseling committee will consist of—

- (i) Director, Indian System of Medicine & Homoeopathy or his authorized representative.
- (ii) Director, Professional Examination Board or his representative.
- (iii) All Principals of the Ayurved / Unani & Homoeopathy Autonomous Medical Colleges of Madhya Pradesh.
- (iv) Representative of reserved category not below the rank of Reader nominated by the State Government.

9.1 The programme for counseling shall be advertised in the leading Newspapers of the state & outside state in time. The candidate shall appear in the counseling on the date published in the news paper as per his / her order of merit. After first counseling the second counseling will be conducted for the remaining vacant seats. Counseling schedule in detail will be informed to all the candidates through Rojgar Nirman or news papers of the state and out state. The schedule of counseling will be available on the website (<http://dismh.nic.in>) of Director, Indian System of Medicine & Homoeopathy. No call letters shall be sent for counseling process.

9.1.1 All the candidates then only be allowed to participate in the counseling after depositing a sum of Rs.500/- (Rupees Five Hundred only) as counseling processing fees in the form of bank draft payable to "The Principal, Pt. Khushilal Sharma Govt. Ayurveda College & Institute, Bhopal."

9.2 In case of a candidate's inability to appear in person for the counseling, he / she can send his / her authorized representative with an undertaking and authority letter for allotment in Proforma 2 and 2-A along with original documents as mentioned in proforma 01, for verification. The seat opted by the representative shall be binding on the candidate.

9.3 The candidates or their representatives shall have to travel for the Counseling at their own cost.

9.4 Candidate or his / her representative shall not be allowed to enter the area specified for the counseling without showing the PAHUT 2010 Examination Mark Sheet.

9.5 The candidate or his / her authorized representative without original documents, as mentioned in proforma 01, and along with two sets of attested photocopies of original documents shall not be eligible to participate in the Counseling.

9.6 The candidates or their authorized representative shall wait for their turn in the order of merit. They shall be called in small groups of 10-20 for scrutiny i.e. verification of original documents and if found eligible, shall further be permitted for the Counseling where they shall exercise their option for allotment of any one of the available seats which shall be final and the same shall be allotted to them and the allotment letter shall be issued on payment of Bank Draft (As per rule- 7)

9.7 If a candidate or his/her representative due to any reasons fails to remain present on the date and time fixed for him/her for scrutiny of the documents and counseling, then such candidate, if they report afterwards, shall be considered for counseling at the same stage, where the counseling is in progress irrespective of his/her merit. Further his/her candidature will be considered only if the counseling of the same category is going on, and allotment done earlier to other candidates on the basis of their merit shall remain unchanged. Such candidates those who are absent or those who could not participate in the counseling due to incomplete documents shall be eligible to participate in subsequent counseling.

9.8 In Pursuance of order passed by Hon'ble supreme court in the case of MCI vs. Madhu Singh the time schedule for completion of the admission process for Ayurved /Homeopathy and Unani courses has been finalised by the Government of India. The proposed time schedule is mentioned in rule 12. All claims of a candidate therefore who due to any reason does not opt for any course in a college available at his/her turn as per merit shall be forfeited, however the name of such candidate can be kept in the waiting list on a written request. Such a candidate may be considered in the subsequent counseling.

9.9 During the first counseling allotment of seats of Ayurved / Unani / Homoeopathy colleges shall be done. If a candidate has already selected a seat in counseling, in that situation to appear in the next counselling after redepositing a new bank draft. The amount of the bank draft deposited earlier will be confiscated.

9.10 Candidate's name should be written same in all related documents i.e. mark sheet, certificates etc.

9.11 Counseling shall be done on merit cum option basis according to the category in the following sequence.

- (A) ST Category
- (B) SC Category
- (C) OBC Category
- (D) Unreserved Category

9.12 In case the eligible candidates to the extent of reservations in any category are not available, the vacant seats shall be filled up by making them available in other categories as given below:—

- (A) The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates
- (B) The vacant seats of SC category shall be filled up by eligible ST category candidates.
- (C) In case the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.
- (D) In case the eligible candidates are not available in these above three reserved categories in the above manner the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.

9.13 If eligible candidates are not available for admission on vacant seats in MP, FF, PH and F class of any category, the such vacant seats shall be made available into OPEN [X] seats of the same category. Even if OPEN [X] eligible candidates are not available for admission on vacant seats of reserved category to the extent of reservation in any reserved category, the vacant seats shall be filled up by making them available in other categories as mentioned in Rule- 9.12.

9.14 A candidate belonging to ST/SC/OBC category, whose name also appear in the merit/waiting list of unreserved category beside the merit/waiting list of his/her own reserved category shall have an option during counseling to select the seat either from reserved category or unreserved category.

10.0 Admission.—Consequent upon a candidates allotment for a subject course and a college by Counseling he / she shall report on the notified date and time to the Principal of the College concerned.

10.1 The admission committee consisting of Principal, two Professors and at least two teachers belonging to reserved category shall also verify the original documents and, if found eligible shall give admission in a course and the college allotted to the candidate.

10.2 The original documents will be returned to the candidates only after the completion of Internship or in any case of leaving from the seat of the course from the concerned college.

10.3 The claim of the candidate who does not join by the last date of joining/ joined and left/joined and remained absent for a period of continuous 15 days without prior intimation to the Head of the Institution shall be forfeited and allotment /admission given shall be deemed to have been cancelled.

10.4 The candidates shall have to undergo TEST FOR MEDICAL FITNESS and shall be admitted only if candidate found MEDICALLY FIT.

11.0 The academic session shall commence from 01-11-2010. Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason in Homoeopathy colleges is 30-10-2010 and in Ayurvedic colleges is 31-10-2010.

12.0 PROPOSED SCHEDULE FOR ADMISSION PROCESS-

1.	First counseling -	Dates will be published later after declaration of result.
2.	Commencement of Academic -	To be declared later session
3.	Second Counseling -	To be declared later
4.	Last date up to which students - can be admitted against vacancies arising due to any reason.	31.10.2010

Note.—1. As given in rule No. 12 detailed programme of the counseling will be advertised in leading News papers of the state or any change in the programme shall also be advertised in the news papers.

2. Any student identified as having obtained admission after the last date of closure of admission shall be discharged from the course of study or any Ayurved/ Unani/ Homoeopathy qualification granted to such student shall not be a recognized qualification for the purpose of acts of CCIM / CCH as the case may be.

13.0 In case the permission of Govt. of India to increase the number of seats in any Govt. Ayurved/ Homeopathy/ Unani College is obtained before the commencements of counceling, the admission in such seats will be given through counceling.

13.1 Authority.—In any case of dispute related to admission of a candidate the Commissner Director Indian system of medicine and Homeopathy M.P. shall be the authority and his decision shall be the final to resolve the case.

14.0 Explanation of Rules.—The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendments relating to them, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned.

Note.—1. Mention of number of seats for admission and name is not an indicator for availability of seats for admission and recognition of the concerned college.

2- Process of admission to the Govt. Autonomous and private colleges of Ayurved, Homoeopathy and Unani system of medicine.

3- Name of college in list and number of sanction seats for admission may be change.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. बिरथरे, अवर सचिव.

TABLE- 1

AUTONOMOUS GOVT. AYURVEDIC COLLEGE
Category and class wise State Quota Distribution charts Year-2010

State Quota

S. No.	Govt. Total Ayur (s)	Unreserved			SC			ST			CBC			Grand Total (8)																	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																		
O		X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total															
		OP	F	OP	F	Total	OP	F	OP	F	Total	OP	F	OP	F	Total															
1	Bhopal	50	15	8	1	-	1	-	25	5	2	-	-	1	-	10	4	2	1	-	7	50									
2	Bundi	40	12	6	1	-	1	-	20	4	2	-	-	6	-	8	3	2	-	1	-	40									
3	Gwalior	45	14	7	1	-	1	-	23	5	2	-	-	7	-	5	3	2	-	1	-	45									
4	Indore	40	12	6	1	-	1	-	20	4	2	-	-	6	-	5	2	1	-	1	-	40									
5	Jabalpur	40	12	6	1	-	1	-	20	4	2	-	-	6	-	5	2	1	-	1	-	40									
6	Rewa	40	13	6	1	-	1	-	20	3	2	-	-	6	-	5	2	1	-	8	4	2	-	40							
7	Ujjain	40	13	6	1	-	1	-	20	3	2	-	-	6	-	4	3	1	-	8	4	2	-	40							
	Total	295	91	45	4	-	4	-	148	28	14	1	-	1	-	45	35	18	2	-	2	-	59	27	13	1	-	1	-	43	295

नोट—सीटों की संख्या परिवर्तित है।

संकेत—

- F = महिला
- OP = औपन
- X = बिना वर्ग
- MP = सेनिक
- FF = स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
- H = विकलांग
- S = सेनिक

TABLE-II

AUTONOMOUS GOVT. HOMOEOPATHY COLLEGE
CATEGORY & CLASS-WISE STATE QUOTA SEATS DISTRIBUTION CHARTS, YEAR 2010

State Quota

No.	Tot.	UNRESERVED						SCH Caste						SCH Tribe						OBC							
		X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	
1.	Govt. Homeo. College Bhopal	70	22	10	1	-	1	-	35	7	3	-	-	-	-	10	10	4	-	-	-	14	8	3	-	-	11

TABLE-III

AUTONOMOUS GOVT. UNANI COLLEGE
CATEGORY & CLASS-WISE STATE QUOTA SEATS DISTRIBUTION CHARTS, YEAR 2010

State Quota

No.	Tot.	UNRESERVED						SCH Caste						SCH Tribe						OBC							
		X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	X	S	FF	H	Total	
1.	Govt. Unani College Bhopal	40	11	6	1	-	1	-	20	4	2	-	-	-	-	6	6	2	-	-	-	8	4	2	-	-	6

संकेत—

X = बिना वर्ग

OP = ओपन

F = यहिला

FF = स्वरंत्रता संग्राम सेनानी

S = सैनिक

H = विकल्पग

तालिका-4

प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित महाविद्यालयों की सूची प्रवेश सत्र 2010-11

स.क्र.	क्र.	महाविद्यालय का नाम	सीट संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय

1	1	पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल	50
2	2	पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर	40
3	3	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर	45
4	4	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	40
5	5	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर	40
6	6	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा	40
7	7	शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	40

शासकीय आयुर्वेद सीट संख्या . . . 295

निजी आयुर्वेद महाविद्यालय

8	1	राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	50
9	2	डॉ. शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, रत्लाम	40
10	3	रानी दुलैथा आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	50
11	4	बीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	50
12	5	ओम आयुर्वेद महाविद्यालय, बैतूल	40
13	6	शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	50
14	7	आचार्य ज्ञान आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	50
15	8	श्रीमती धैर्य प्रभा देवी सोजतिया आयुर्वेद महाविद्यालय, मंदसौर	50
16	9	कॉलेज ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन्स एण्ड हास्पिटल, ग्वालियर	50
17	10	आजीवन स्वास्थ्य संवर्धन आयुर्वेद महाविद्यालय, चित्रकूट, सतना	50
18	11	आरोग्य इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेंटर महृ	50

निजी आयुर्वेद सीट संख्या . . . 530

आयुर्वेद पद्धति की कुल सीटें . . . 825

19	1	शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	70
----	---	---	----

निजी होम्योपैथी महाविद्यालय

20	1	हेनीमन होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
21	2	एल.बी.एस. होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
22	3	नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
23	4	स्वामी प्रणवाननंद होम्योपैथी महाविद्यालय, छतरपुर	50
24	5	गुजराती समाज होम्योपैथी महाविद्यालय, इन्दौर	100
25	6	राजीव गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय, इन्दौर	100

(1)	(2)	(3)	(4)
26	7	डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी महाविद्यालय, रतलाम	100
27	8	शिवांग होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
28	9	आर.के.डी.एफ. होम्योपैथी महाविद्यालय, मंडीदीप, भोपाल	100
29	10	इंदिरा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय, धार	100
30	11	सेंधवा होम्योपैथी महाविद्यालय, सेंधवा, बड़वानी	100
31	12	अनुश्री होम्योपैथी महाविद्यालय, जबलपुर	100
32	13	सोफिया होम्योपैथी महाविद्यालय, ग्वालियर	100
33	14	महात्मा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय, जबलपुर	100
34	15	एस.एम. देव होम्योपैथी महाविद्यालय, बालाघाट	50
35	16	सागर होम्योपैथी महाविद्यालय, सागर	50
36	17	रामनाथ सिंह होम्योपैथी महाविद्यालय, भिंड	85
37	18	अरिहन्त होम्योपैथी महाविद्यालय, सेंधवा	50
38	19	वसुंधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय, ग्वालियर	100

निजी होम्योपैथी सीट संख्या . . . 1685

होम्योपैथी पद्धति की कुल सीट संख्या - 1755

39	1	हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय, भोपाल	40
----	---	---	----

निजी यूनानी महाविद्यालय

40	1	सेफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, बुरहानपुर	50
41	2	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी महाविद्यालय, देवास	40
42	3	अल फारूख यूनानी महाविद्यालय, इंदौर	50

निजी यूनानी सीट संख्या . . . 140

यूनानी पद्धति की कुल सीट संख्या . . . 180

तीनों पद्धति की कुल सीट संख्या . . . 2760

- * नियम पुस्तिका में महाविद्यालय का नाम व प्रवेश हेतु स्वीकृति सीट्स संख्या का उल्लेख महाविद्यालय की मान्यता एवं उसी सीट्स पर प्रवेश उपलब्ध होने का द्योतक नहीं है।
- * प्रदेश में संचालित शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्/भारत सरकार की मान्यता एवं तत्संबंधी आदेशों तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की संबद्धता पर निर्भर होगी।
- * महाविद्यालयों के नाम की सूची व प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट्स संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

तालिका-5

शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में ली जाने वाली शुल्क की तालिका
शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शुल्क

क्र. (1)	फीस का मद (2)	आयुर्वेद (3)	यूनानी (4)	होम्योपैथी (5)	अन्य विवरण (6)
1	शिक्षण शुल्क	15000.00	12000.00	12000.00	प्रतिवर्ष
2	स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क).	1000.00	1000.00	1000.00	प्रतिवर्ष
3	सुरक्षा निधि	5000.00	5000.00	5000.00	प्रवेश के समय एक बार
4	शैक्षणिक प्रवास यात्रा भ्रमण शुल्क	2000.00	2000.00	2000.00	प्रवेश के समय एक बार
5	छात्रावास सुरक्षा निधि	1200.00	1200.00	1200.00	प्रवेश के समय एक बार
6	छात्रावास निवास शुल्क	6000.00	6000.00	6000.00	प्रतिवर्ष

तालिका-6

निजी क्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों से ली जाने वाली शुल्क की जानकारी

नोट.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश, 2007 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी।

अध्याय-4

प्रारूप 1—प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, काउंसलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र (उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

मैं/अधिकृत प्रतिनिधि घोषणा करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश पाहुत प्रवेश परीक्षा 2010 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों से दिये गये प्रावधानों के अधीन काउंसलिंग में भाग ले रहा/रही हूं।

काउंसलिंग में भाग लेने के लिये आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाये। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाये—

- पाहुत 2010 का रोल नं.
- मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक
- पाहुत परीक्षा में प्राप्तांक
- पूरा नाम
- माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
1. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग)
6.2 संवर्ग [सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, महिला, ओपन (X)]
- मूल प्रमाण-पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें :

 - पाहुत परीक्षा 2010 की मूल अंकसूची।
 - अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची।
 - आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।

4. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंकसूची.
5. चरित्र प्रमाण-पत्र.
6. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बाहरवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा ऐप सर्टिफिकेट.
7. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र.
8. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी. सी. प्रमाण-पत्र.
9. गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्ति के पुत्र/पुत्री होने संबंधी प्रमाण-पत्र.

उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, दिनांक, पूरा नाम

स्कूटनी (छानबीन समिति द्वारा भरा जावे)

उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण-पत्रों, अभिलेखों (1-9) की जांच, प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं।

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं।

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम

प्रमाण पत्रों के प्रारूप एवं अन्य जानकारी
काउंसलिंग हेतु उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि की पाठ्यक्रम, संस्था
में प्रवेश हेतु आवंटन की सहमति

मैं / अधिकृत प्रतिनिधि आज दिनांक को काउंसलिंग में भाग लेकर अपना क्रम आने पर उपलब्ध पाठ्यक्रम, विषय, संस्था में प्रवेश लेने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत या असहमत हूँ या “आष्ट फार वेटिंग” द्वारा अपना नाम प्रतीक्षा सूची में रखने के लिये सहमत हूँ।

उपरोक्तानुसार मुझे संस्था पाठ्यक्रम विषय आवंटित करने का कष्ट करें।

नाम	उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
रोल नं.	दिनांक
मेरिट नं.	पूरा नाम एवं पता

काउंसलिंग द्वारा आवंटन

श्री/कु.	पाहुत परीक्षा रोल नंबर	मेरिट अंक	श्रेणी
संवर्ग	उम्मीदवार द्वारा स्वेच्छापूर्वक चयन के आधार पर उन्हें पाठ्यक्रम		
तथा संस्था	आवंटित की जाती है।		

या
उम्मीदवार द्वारा पाठ्यक्रम तथा संस्था चयन न करने के कारण आवंटन नहीं दिया गया।

उम्मीदवार का नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज किया गया है।

दिनांक	आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर
	दिनांक
	नाम तथा पदनाम

शपथ-पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री उम्र निवासी कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी.

आवंटित संस्था में प्रवेश समय-सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूँगा/करूँगी.

दिनांक	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम	दिनांक
पूरा पता	पूरा नाम
गवाह के हस्ताक्षर	पद
दिनांक	
नाम	
पूरा पता	

प्रारूप -3

DECLARATION FORM FOR

Allotment of Seat in State Ayurved/Unani & Homoeopathic College in lieu of resignation form All India Quota Seat.

I, S/o, D/o, Resident of at Rank Number in the PAHUT EXAM-2010 and I, had opted a Seat at College Course in the allotment and have taken admission there on dated :

1 (i) I am also selected in Madhya Pradesh PAHUT EXAM- 2010.

2(ii) I, the above named hereby choose a seat at College in course from amongst the seats in Ayurved/Unani & Homoeopathic College of M. P. available at my rank during this counseling for allotment and admission.

Following this allotment, I, shall have no claim on the seat allotted to me earlier at College Course The same stands vacated by me with immediate effect.

(iii) I, the above named reject the seats available at my rank for allotment and I, will continue my studies at my earlier allotted College Course

Signature of the Candidate
or authorised representative.

Date

Name

Time

Rank No.

प्रारूप-2-अ

अधिकार-पत्र

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 रोल नं. मध्यप्रदेश पाहुत-2010 द्वारा बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में
 प्रवेश हेतु नाम को अधिकृत करता/करती हूं, वे दिनांक को चयन/रिजेक्शन/प्रतीक्षा सूची
 का विकल्प, की एक सीट का समिति के समक्ष निर्णय लेने हेतु मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे/करेंगी। ऊपर लिखित उम्मीदवार के हस्ताक्षर एवं
 फोटो श्री/श्रीमती/कुमारी नीचे अभिप्रमाणित किये गये हैं।

उम्मीदवार का फोटो
 राजपत्रित अधिकारी द्वारा
 प्रमाणित।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
 पूरा नाम
 रोल नं.
 रैंक :

पता

अधिकृत प्रतिनिधि का फोटो तथा
 हस्ताक्षर जो उम्मीदवार द्वारा प्रमाणित हो।

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
 उम्मीदवार द्वारा अभिप्रमाणित।

नोट.—हस्ताक्षर एवं सील, फोटो एवं कागज दोनों पर आना चाहिये।

प्रारूप-2

अन्डरटेकिंग

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी पिता/पति
 आयु, वर्ष, माह, रोल नं., स्थान एवं रैंक नं., मध्यप्रदेश
 पाहुत परीक्षा-2010 द्वारा बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यह विश्वासपूर्वक कथन करता/करती हूं
 कि मेरे द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
 आयु, वर्ष, के द्वारा चयन/रिजेक्शन/प्रतीक्षा सूची का विकल्प के संबंध में दिनांक को स्वयं
 उपस्थित होकर लिया गया निर्णय मेरे लिये बाध्य होगा एवं मेरे प्रतिनिधि द्वारा लिये गये निर्णय के अलावा मेरा कोई भी अधिकार/
 स्वतंत्र नहीं बनेगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम

रोल नं.

रैंक

पता

प्रारूप-4

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप**उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अधिभावक का शपथ-पत्र**

(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम	:
पिता का नाम	:
अनुसूचित जाति/जनजाति/(अनु. का क्रमांक)	:
धर्म	:
व्यवसाय	:
पता:	:

मैं, शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि—

1. मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्भाव जिला (म. प्र.) के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही सदस्य हूं।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन-पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी.—जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

प्रारूप-5

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश.

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण-पत्र क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	पिता/पति का नाम
निवासी ग्राम/नगर	वि.खं.
जिला	जाति/जनजाति
संभाग	
तहसील	
का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह	जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक
पिता/पति का नाम	पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी
	अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है,

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

सील

पदनाम

टिप्पणी।—(1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मात्र होंगे।

(अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उप-संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रारूप-6अ

अस्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश.

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण-पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम निवासी ग्राम/नगर वि.खं. तहसील जिला संभाग जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संसोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

सील

पदनाम

यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप-6

म.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक	दिनांक
--------------------------	------------------

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) आत्मज श्री निवासी/ग्राम जिला/संभाग मध्यप्रदेश के निवासी है जो जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पचीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360-2-22-93 स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16-2000-1 आ. प्र., दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक-6 आय/संपत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है।

दिनांक	प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम (सील) पदनाम
------------------	---

प्रारूप-7

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र
भाग (अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी
संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता हैं।

(अ) थल सेना/वायु सेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवानिवृत्त/सेवामुक्ति के समय वे पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक था।

अथवा

(ब) उन्होंने थल सेना/वायु सेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है, सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर (कार्यालय सील)
दिनांक	

प्रारूप-7

भाग (ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता हैं।

(अ) थल सेना/वायु सेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं, वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत हैं।

अथवा

(ब) उन्होंने थल सेना/वायु सेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर आफिसर कमांडिंग

(कार्यालय सील)

प्रारूप-8

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार से (स्थान) तहसील जिला में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान
दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप-9

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है जो श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
2. श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिला का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान हस्ताक्षर : कलेक्टर
दिनांक (कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

प्रारूप-10

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री जिला मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह,—

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है।

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त—

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है, जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित, परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

- (क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा।
- (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी—जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रारूप-11

वास्तविक निवास संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था (संस्था का नाम) में सत्र से सत्र तक अध्ययन किया है।

स्थान
दिनांकसंस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पद
(कार्यालय सील)

प्रारूप-12

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती वर्ष का/की, पुत्र/पुत्री है।

- (क) जो विभाग में पद पर
(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।
- (ख) जो विभाग में पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।
- (ग) जो विभाग में पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे, जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए (तिथि) को हो गई थी।
- (घ) जो विभाग में पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

स्थान
दिनांककार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

प्रारूप-13

वास्तविक निवास संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमती का/की, पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से मध्यप्रदेश में स्थित विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान
दिनांककार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद
(कार्यालय सील)

प्रारूप-14

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमती का/की पुत्र/पुत्री है, जो योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है, यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

(कार्यालय सील)

* जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रारूप-15

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री के पुत्र/पुत्री श्री/कुमारी जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, (म. प्र.) भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से विस्थापित है।

श्री (पिता का नाम) एवं उनका परिवार वर्तमान में मध्यप्रदेश के (शहर एवं ज़िले का नाम) में दिनांक से निवास कर रहा है।

.....
हस्ताक्षर
अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व)
(कार्यालय सील)

प्रारूप-16

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई, का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल; (म. प्र.) भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य से विस्थापित उम्मीदवारों की सीटें के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है।

श्री (उम्मीदवार का नाम) के माता/पिता/श्री/श्रीमती मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में रही है।

विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर पद एवं
विभाग का नाम

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 19-18-2009-बारह-1.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (2) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु कोई भी व्यक्ति इन खदानों के 50 किलोमीटर की परिधि में रेत, मैंगनीज तथा कोयले का भण्डार नहीं करेगा या भण्डारण नहीं करवाएगा।”.

No. F.19-18-2009-XII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 23 C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following further amendments in Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illeg Mining, Transportation and Storage) Rules, 2006 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that no person shall or cause to be stored Sand, Manganese and Coal in the periphery of fifty kilometers of these mines.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखण्ड कुमार तोमर, उपसचिव.